ई-मेल

संख्या-17/2026/आई/1209448/2026/16-3099/177/2025

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांकः 19 जनवरी, 2026**

विषय:-राजकीय पालीटेक्निक, देवरिया के आवासीय/अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने संबंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 1121.66 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-62684/ई-प्लान-जीर्णोद्धार (देवरिया), दिनांक 06.11.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राजकीय पालीटेक्निक, देवरिया के आवासीय/अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने संबंधी परियोजना की पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत **रू0 1121.66 लाख** पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु संगत मद से **रु0 119.63 लाख (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख तिरेसठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करतीं हैं-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप 27.03.2025 दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, प्राविधिक शिक्षा की होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(6) पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) सेंटेज चार्जेज के संबंध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) किसी भी वित्तीय अनियमिमता का उत्तरदायित्व निदेशक, प्राविधिक शिक्षा का होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,19,63,000 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख तिरेसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 047 **लेखा शीर्षक** 4202021041200 राजकीय पालीटेक्निक (पुरूष/महिला) का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-ई-11-320-X-2025-26 दिनांक 14.01.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
3- महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
6- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
7- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, उ0प्र0 शासन।
8- जिलाधिकारी, कानपुर/देवरिया। (द्वारा निदेशक, प्रा0शि0)
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर/देवरिया। (द्वारा निदेशक, प्रा0शि0)
10- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
11- प्रबन्ध निदेशक, यूपीसिडको, लखनऊ।(द्वारा निदेशक, प्रा0शि0)
12- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
13- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in